हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

30/1/26

आज पेश हुई। प्रार्थी एवं विप्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थी व विप्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील विप्रार्थी अपनी आपत्ति दर्ज करवाते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्दर म्याद पेश नही किया गया है लिहाजा प्रार्थना पत्र खारिज फरमावें। प्रार्थी वकील द्वारा अपनी बहस में बताया कि उक्त प्रकरण में मुझे जानकारी होते ही मेरे द्वारा प्रार्थना पत्र श्रीमान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। मूल वाद में साक्ष्य सबूतों के आधार पर मेरे वाद का गुणावगुण के पर श्रीमान न्यायालय से निर्णय किये जाने हेतु मेरा वाद पुनः बरामद किये जाने का आदेश फरमावें। बहस पर मनन किया। पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। जिसके आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 04 सीपीसी का स्वीकार किया जाकर मूल वाद 128/2023 अनवान् रूपराम बनाम हालाराम वगैराह अन्तर्गत धारा 183,188 राज.काश्त. अधिनियम का पुनः बरामद कर दर्ज रजि. करने का आदेश दिया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिले दफ्तर हो एवं से कम हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ranchhod Lal
Date: 2026.02.10 19:32:43 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) चौहटन